निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 08/2023
दायरा दिनांकः–20.06.2023
निर्णय दिनांकः– 1.7.24

उनवान

1. रामबाई आयु 34 वर्ष पत्नि घांसीलाल जाति बंजारा
2. पार्वती बाई आयु 27 वर्ष पत्नि परशुराम जाति बंजारा निवासीगण ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 1.7.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश लोधा – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा में खाता संख्या 97 खसरा नम्बर 77/2 रकबा 1.6567 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण ने वीरम पुत्र अमरलाल जाति राव निवासी ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि को दिनांक 31.05.2022 को प्रार्थीगण रामबाई पत्नि घांसीलाल पार्वती बाई पत्नि परशुराम जातियान बंजारा निवासी ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा के पक्ष में क्रय कर कब्जा लिया था तब ही से प्रार्थीगण उक्त आराजी पर काश्त करतें चले आ रहे है। परन्तु सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने उक्त आराजी के नक्शे लठे में खसरा नम्बर 77/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 77/1 गलत तरमीम कर दी है जबकि कब्जा काश्त अनुसार तरमीम होनी थी जब विक्रेता वीरम का कब्जा काश्त था वही पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे चली आ रही है और आज भी प्रार्थीगण वही पर काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण काबिज काश्त अनुसार उक्त आराजी के नक्शे लठे में तरमीम करवाना चाहता है ताकि प्रार्थीगण उक्त आराजी को बिना बाधां के कृषि कार्य कर सके। प्रार्थीगण ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से कही बार राजस्व रिकार्ड के नक्शा लठ्ठे में दुरूस्त कर खसरा नम्बर 77/1 के स्थान पर खसरा नम्बरा 77/2 को तरमीम में अंकित करने हेतु निवेदन किया तो सभी ने मना कर दिया श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करके संशोधन करने का आदेश लाने को कहां इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2077–80 खाता संख्या 103 नकल नक्शा ट्रेस नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 97 फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2022 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड पार्वती बाई फोटो प्रति आधार कार्ड रामबाई पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा में स्थित है प्रार्थीयागण ने वीरम पुत्र अमरलाल जाति राव निवासी मदनाखेडी से दिनांक 31.05.2022 को क्रय कर कब्जा लिया था। तब से प्रार्थीयागण काश्त करतें चले आ रहे है परन्तु सहवन से नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 77/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 77/1 गलत तरमीम कर दिया है जबकि कब्जा काश्त अनुसार तरमीम होनी चाहिये थी जिस भूमि पर वीरम का कब्जा काश्त था उसी भूमि पर प्रार्थीयागण वही पर काबिज काश्त है प्रार्थीयागण काबिज काश्त अनुसार नक्शा लट्ठा में तरमीम कराना चाहती है प्रार्थीयागण की भूमि खसरा नम्बर 77/1 के स्थान पर 77/2 नक्शा लट्ठा में अंकित किया जाकर तरमीम की जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत 2077–80 खाता संख्या 103 वीरम पुत्र अमरलाल का नाम दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 97 वीरम पुत्र अमरलाल क खातेदारी में दर्ज है नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 77/2 एवं 77/1 अलग–अलग तरमीम दर्ज है नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2022 के अनुसार खातेदार वीरम पुत्र अमरलाल जाति राव निवासी मदनाखेडी द्वारा खसरा नम्बर 77/2 रकबा 6.11 बीघा भूमि श्रीमति रामबाई पत्नि घांसीलाल पार्वती बाई पत्नि परशुराम जाति बंजारा निवासी मदनाखेडी द्वारा 9,00,000 (नो लाख रूपये) में क्रय की गई थी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में यह कही नही लिखा कि खसरा नम्बर 77/1 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 77/2 है प्रार्थीगण खसरा नम्बर 77/1 के स्थान पर 77/2 को नक्शा लट्ठा में तरमीम कराना चाहतें है तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि क्रेतागण रामबाई एवं पार्वती का मौके पर पूर्वी दिशा में कब्जा काश्त है मौके पर उपस्थित विक्रेता वीरम राव द्वारा क्रेतागण को पूर्व दिशा में ही कब्जा सम्भलाया गया था। तब से ही पूर्व दिशा में काश्त करतें चले आ रहे है। नामान्तरण संख्या 179 के अनुसार वीरम राव का जो खातेदारी का नामान्तरण [illegible] मुताबिक नजरी नक्शा अनुसार वीरम को पश्चिम दिशा की भूमि तथा [illegible] के पूर्वी दिशा की भूमि का नक्शा बना हुआ है आवटन अनुसार [illegible] गई तथा नामान्तरण की पुश्त पर नक्शा बना हुआ है उसके [illegible] कब्जा होना चाहिये प्रार्थी द्वारा किस दिशा की भूमि क्रय की गई। [illegible] विक्रय पत्र में अंकित नही है विक्रेता वीरम को खसरा नम्बर 77/2 की भूमि आंवटन की गई थी आंवटन के बाद गैर खातेदारी का नामान्तरण 179 दर्ज किया गया जिसकी पुश्त पर पश्चिमी दिशा में वीरम को भूमि दी गई वीरम को पश्चिम दिशा की भूमि आंवटन हुई थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उसका नजरी नक्शा सही है इसलिए विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी को पूर्वी तरफ नक्शा दुरूस्त कर दिया जाना न्यायोचित नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:20 IST
Reason: SelfAttested